राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	112/2022 गीता देवी बनाम ग्राम पंचायत हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 524 रकबा 0.48 हैक्टेयर, जिसके गत खसरा नम्बर 142/856 रकबा 0.48 हैक्टेयर रहा हैं। जिसमें वादीया का हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण में निहित हैं तथा रिकार्ड काबिज काश्तकार हैं। उक्त भूमि विवादग्रस्त ग्राम कुशलपुरा व समरपुरा की सरहद पर स्थित हैं, तथा वादीया अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं तथा अपनी निवास हेतु उक्त खसरा नम्बर में दक्षिणी सीमा की और पुख्ता मकानात बना रखे हैं। उक्त खसरा नम्बर के दक्षिणी और स्थित सीमा पर कोई न तो रिकार्डेड ना ही मौके पर रास्ता मौजूद हैं, ना ही सीमा समरपुरा की और रास्ता स्थित हैं। इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 अवैध रूप से जबरदस्ती रास्ता कायम करने पर आमदा हो रहा हैं। दिनांक 14.12.2009 को हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी उक्त खसरा नम्बर के दक्षिणी सीमा की और कोई रास्ता नहीं हैं। दिनांक 28.8.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 अपने कर्मचारियों को लेकर भूमि विवादग्रस्त पर आया तथा वादीया की भूमि विवादग्रस्त में जबरिया रास्ता निकालने पर आमदा हो गया, तथा जब वादीया ने रास्ता निकालने से मना किया तो वादीया को धमकी दी कि वह जबरदस्ती वादीया की भूमि में होकर रास्ता निकाल कर रहेगा, तथा वादीया के जचे सो कर ले। इसलिये वादीया को यह वाद पत्र श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया हैं। वादीया ने वादपत्र के अन्त निम्न अनुतोष चाहते हुये निवेदन किया कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का मय हर्जा व खर्चा के डिकी फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीया को उसके कब्जे काश्त में, उपयोग-उपभोग में कोई दखलन्दाजी, बाधा, मजाहमत या मदाहखलत पैदा नहीं करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में कोई रास्ता निकाले, ना ही खड्डे खोदे, ना ही रोड डाले, तथा प्रतिवादी संख्या 2 भूमि विवादग्रस्त बाबत किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं होने देना सुनिश्चित करें। उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वंय करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन, परिवारजन आदि के जरिये करवायें। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	112/2022 गीता देवी बनाम ग्राम पंचायत हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली प्रशासन गाँवो के संघ अभियान कैम्प कोर्ट कुशलपुरा में नियत कर निर्णय दिनांक 21/10/2021 पारित करते हुये वादी का वाद स्वीकार कर अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयां द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी एवं पैरोकार सरकार की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21/10/2021 को पत्रावली प्रशासन गाँवो के संघ अभियान कैम्प कोर्ट कुशलपुरा में नियत करने की सूचना अप्रार्थीगण को प्रदान किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभियान/कैम्प कोर्ट में प्रकरण नियत करने की विधिवत सूचना पक्षकारान को दी जाकर उनकी सहमति प्राप्त कर प्रकरणों को निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है किन्तु ऐसा नही कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाना प्रकट होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21/10/2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	